एमिटी लॉ स्कूल

एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा

उत्तर प्रदेश

द्वारा आयोजित

द्वितीय एमिटी राष्ट्रीय हिन्दी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2018

दिनांक 14, 15, 16 मार्च 2018

मूट समस्या

नोएडा के सैक्टर 105 की एक घटना पिता श्याम लाल उम्र 60 वर्ष जो नोएडा सैक्टर–105, के निवासी है, उनकी अपनी बेटी रोहिनी उम्र 27 वर्ष से काफी आशा करते है कि वह उनके ग्ह ऋण और शिक्षा ऋण के भुगतान मे मदद करेगी । रोहिनी अपने पिता से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए ट्रीबॉक प्राइवेट लि0 कम्पनी मे नौकरी करती है । परन्तु रोहिनी को नौकरी करने मे कुछ खास लगाव

नही था क्योकि ट्रीबॉक प्राइवेट लि0 कम्पनी का मालिक अजय रनावत उम्र 35 वर्ष की छवि बहुत खराब थी। वह सबको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताणित किया करता था। और उसके खिलाफ यौन उत्तपीडन के काफी मामले भी दर्ज थे।

अहमद खान (उम्र 27 वर्ष) जो रोहिनी के साथ उसकी कम्पनी में नौकरी करता है और वह रोहिनी के नौकरी संबधित कार्यो में काफी सहयोग करता था रोहिनी अहूमद खान को काफी मानती है और दोनो एक दूसरे से प्यार करते थे। परन्तु रोहिनी यह नही चाहती है कि उसके पिता को यह बात पता चले क्योंकि उसके पिता श्याम लाल बहुत ही पुराने ख्यालात के है और प्यार मोहब्बत की बातो के सख्त खिलाफ है । अचानक एक रात रोहिनी की मौत हो जाती है।

इस सन्दर्भ में नोएडा पुलिस जॉच पडताल चालू करती है तो पुलिस द्वारा यह पता चलता है कि सुरक्षा कर्मी ने बताया जिस रात दिनांक (15.12.2017) को रोहिनी की मौत हुई उस रात घर मे रोहिनी और उसके पिता के बीच काफी शोर गुल और बहस हुई थी। सुरक्षा कर्मी ने अपने बयान मे यह भी बताया है कि अमूमन नौकरी की व्यस्तता की बजह से रोहिनी ने अपना कमरा घर की पहली मंजिल पर खुद ही अलग कर लिया था और जिसकी सिढियॉ घर के बाहर से निकलती है ताकि उसके पिता जी को उसके कार्यालय से रात को देर से आने कि वजह से परेशानी न हो। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बयान मे यह भी बताया है कि जिस रात रोहिनी की मौत हुई। उस रात कडाके की ठण्ड थी और अहमद पूरे ठण्ड के कपडों मे था। रोहिनी कर मित्र अहमदखान रात तकरीबन 10:30 pm रोहिनी से मिलने उसके घर आया था। अहमदखान ने पुलिस के पूछतॉच मे यह बताया कि वो रोहिनी की काफी मदद करता था और रोहिनी और उसके बीच काफी उच्छे रिश्ते

थे। रोहिनी हर एक बात अहमद को बताती थी परन्तु अहमद ने यह भी बताया है

कि रोहिनी काफी दिनों से कार्यालय संबंधी मुद्यो से परेशान चल रही थी लेकिन अहमद के पुछे जाने पर रोहिनी ने परेशानी का कारण व्यक्त नही किया। अहमद ने यह कहा कि रोहिनी ने खुद अहमद को मेसेज कर के आने को कहा था और इस वजह से वह रोहिनी से मिलने उसके घर गया था। जब वह रोहिनी के पास पहुॅचता है, तो वह देखता है रोहिनी फर्श पे बैठी रोरही । अहमद रोहिनी से उसकी परेशानी का कारण पूछता है परन्तु रोहिनी उसे कुछ नही बताती है।

इसके तत्पश्चात अहमदखान उसके पिता के पास रोहिनी के परेशानी का कारण पुछने जाता है। जब उसके पिता भी परेशानी का कारण न बताने से मना कर देते है तो वह वापस रोहिनी के पास जाता है। वापस जाने पर रोहिनी को मृत अवस्था मे पाता है वह इस बात की सूचना पुलिस और बाकी लोगों को देता है। सुरक्षा कर्मी ने यह भी कहा कि रोहिनी का मालिक अजय रनावत उस रात 10:45 पर रोहिनी से मिलने आया और 10 सं 15 मिनट मे वापर चला गया। इसके तत्तपश्चात पुलिस मालिक अजय रनावत से बयान और पूछताॅछ करती है। अजय रनावत अपने बयान मे यह बताते है कि रोहिनी ने उनको खुद कॉल करके उनको घर आने को कहा था। इस वजह से वह रोहिनी से मिलने घर पर आते है। अजय रनावत ने यह भी बताया जब वह रोहिनी से मिलने उसके कमरे के दरवाजे के पास आता है और काफी देर दरबाजा खटखटाते है परन्तु रोहिनी दरबाजा नही खोलती है और वहॉ से काफी देर इन्तजार करने के बाद चले जाते है। रोहिनी के पिता से बयान लेने पर बात यह पता चलती है कि रोहिनी काफी दिनो से परेशान थी और रोहिनी के पिता ने जब रोहिनी से परेशानी की बजह पूछी तो रोहिनी ने

अपनी परेशानी व्यक्त नही की रोहिनी के पिता ने यह भी बताया कि वह परेशानी के कारण डिपरेशन की दबॉए भी खाने लगी थी और उसके पिता ने एक दिन उसको काफी परेशान देखा तो परेशानी का कारण पूछॉ। कारण न बताने पर उसके पास रखी एक रिपोट देखी जिसमें यह लिखा था कि रोहिनी गर्भवती थी और यह जानकारी पाकर श्याम लाल से चला गया।

पुलिस जॉच पडताल के अनुसार जब पुलिस ने जॉच पडताल किया तो यह पाया कि जहॉ पर रोहिनी की म्त्यु हुई थी वहॉ पर शराब की बोतल और दो गिलास मिले जिस पर एक पर रोहिनी के उगलियो के निसांन पाए गये और एक पर कोई निशान नही पाया जबकि दोनो गिलासो में शराब मौजूद थी गए और कमरे का सामान तितर बितर भी था। और दरवाजे के अन्दर के कुन्डी पर मालिक अजय रनावत के हॉथो के निशान पाए गए है। फॉरेन्सिक जॉच पडताल के अनुसार रोहिनी की मृत्यु 10:00 से 11:00 बजे के बीच सॉस फूलने से हुई है रोहिनी का पोस्टमाटम हुआ तो यह पाया गया कि रोहिनी गर्भवती थी ओर उसने काफी मात्रा में डिप्रेसन की दवा वेन्जोडाइपिन्स के अविशेश मिले। पुलिस को रोहिनी के फोन से अहमदखान को किया गया मेसेज और मालिक अजय रनावत से की गयी 5 मिनट की गयी वार्तालाप का कॉल हिस्ट्री मिला।

पुलिस ने पिता श्याम लाल मालिक अजय रनावत और मित्र अहमदखान को गिरफ्तार करती है और मामला जिला सत्र नयायलय गौतमबुद्ध नगर में पेश करती है ।

अब उक्त मामलें में दोनो पक्ष कानून और प्रक्रिया के लिए बहस करे। सूचीबदद्य तरीके से बनाए दोनों पक्षो से खुद तैयार किए गये मुददे

सन्दर्भ हेतु :–

भारतीय दण्ड सहिता, 1860

(Indian Penal Code, 1860)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(Code of Criminal Procedure, 1973)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(The Indian Evidence Act, 1872)

इत्यादि।

****नोट – यह मूट समस्या राहुल सिंह द्वारा रचित है कृप्या मूट संम्बधित मुददो पर इनसे संमम्पर्क न करे वर्ना टीम की सदस्यता रदद की जा सकती है।**